

# MEDININAGAR NAGAR NIGAM

सार्वजनिक नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित करों में नया सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 103917829072411201

Date : 29-07-2024

पत्राची : प्रथम तिमाही 2024-2025

श्री/श्रीमती/शुभे AJAY KUMAR MEHTA DHANANJAY KUMAR MEHTA VIJAY KUMAR MEHTA .

मोहल्ला REDMA CHECHANI MEDININAGAR MEDININAGAR

PALAMU 822102

9162892928

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 17A0000961000MD काई सं. 17A हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0-रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निर्धारण प्रसारित होगा।

## स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	121.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (घरों जल संरक्षण की आवश्यकता नहीं होने के कारण)	0.00
<b>कुल राशि (प्रति तिमाही)</b>		<b>121.00</b>



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की नयी MEDININAGAR NAGAR NIGAM Website [www.buxhand.gov.in](http://www.buxhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली काबिजा 11.4 के अन्तर्गत नये जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। विद्यमान की जाती है 70% काई जल संरक्षण संरक्षित बना कर निगम को सूचित करे नया अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- घनविक्रय विनियमन अधिनियम 1962 के अन्तर्गत नैसर्गिक दण्ड होगा।
- यदि किसी वर्ग के लिए सम्पूर्ण धरती का नया नगरपालिका विनियमन के 30 जून के पूर्व का दिया जाता है, तो उपरोक्त का 5% की रियायत दी जायेगी।
- किसी दण्ड भूति का निर्दिष्ट समयावधि (घनविक्रय विनियमन) के अन्तर्गत उसके पूर्व नहीं सुधारण जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण पत्र की तई घोषणा के आधार पर की जा रही है. इस स्व-निर्धारण संशोधन पत्र की स्वीकृति प्राप्त करे नया समय निगम कर सकता है एवं स्थल बालत जाते पर नियमावली जडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित कर (Fine) एवं अंतर-राशि देय होगा।
- MEDININAGAR NAGAR NIGAM द्वारा सर्वोच्च इम सम्पत्ती का इत इमरती/घरों को काई-कादूनी हेतियत पटल नहीं करता है और/या न ही अपन भागिजों/दखलदारों को काई-कादूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नम्बर का आबिती अंक 5-6/7/8 है तो यह निर्दिष्ट संरचनाओं की शर्तों के अन्तर्गत मज्या जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.